

उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज कराएं



चरण-वार मार्गदर्शन

1. कोई भी उत्पाद खरीदते समय, हमेशा जांच लें कि पैकेट पर ग्राहक सेवा केंद्र का नंबर उल्लिखित है या नहीं और क्या वह नंबर कार्यशील है।
याद रखें, उत्पाद संबंधी किसी समस्या के लिए निर्माता/पैकर/आयातक के पास शिकायत दर्ज करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

2. उत्पाद संबंधी किसी भी समस्या के मामले में, निर्माता/पैकर/आयातक के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें और उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
उपभोक्ता सेवा केंद्र से संपर्क करने की तारीख और उपभोक्ता सेवा केंद्र द्वारा प्रदान की गई संदर्भ संख्या नोट करें। समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित समय के बारे में उपभोक्ता सेवा केंद्र से पूछें।

3. यदि निर्माता/पैकर/आयातक द्वारा उचित समय के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1800114000 या 14404 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
शिकायत www.consumerhelpline.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत के पंजीकरण की तारीख और एनसीएच द्वारा प्रदान की गई संदर्भ संख्या नोट करें।

4. यदि शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो उपयुक्त उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (या उपभोक्ता आयोग) में शिकायत दर्ज करें।
आप अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं या अपने एजेंट अथवा अपने वकील के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
14404 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



NCH



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक